पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्तमान स्थिति व सम्बन्धित मुद्दे

*किरण मीणा
**प्रो.सोहन लाल मीणा

साराशं

पंचायती राज संस्थाओं को 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने के पश्चात् इनकी स्थिति सुदृढ हुई है। ये लाकेतंत्र का आधार स्तम्भ हैं एवं इन्हें सशक्त करने के लिए समय–समय पर विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। लेकिन आज भी अनेक रिपोर्टें तथा शोध अध्ययनों के आँकडे बताते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षत्रे के वंचित वर्गो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हुआ है। प्रस्तुत शाधे पत्र में ग्रामीण स्थानीय – स्वशासन संस्थाओ में अनुसूचित जनजाति वर्ग की वर्तमान स्थिति व सम्बन्धित मुद्दो का विस्तृत विश्लेषण किया गया है तथा इनकी स्थिति और सक्रिय सशक्त बनाने हतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्य शब्द – सशक्त, स्वशासन, जनप्रतिनिधि, नाकैरशाही, त्रि–स्तरीय पंचायतीराज, आरक्षण। प्राचीन काल से ही भारत में ग्रामीण प्रशासन प्रचलित था। रामायण महाभारत काल के साहित्य में सभाओ, समितियो तथा गावो का उल्लेख मिलता है प्रो. अल्तेकर के अनुसार ''अति प्राचीन काल स`ेही भारत के ग्राम शासन व्यवस्था की धुरी रहे हैं।"

शुक्र में गावों की परिभाषा देते हुए बताया है कि ''जहाँ से एक सहस्त्र चाँदी के पण की आय हो वह गाँव है। त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई। पंचायती राज व्यवस्था के नवीन स्वरूप को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मान्यता मिल जाने के पश्चात सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान सरकार द्वारा इसे अपने प्रदेश में लागू किया गया।

भारत में "पंचायती राज'' शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में, जमीनी स्तर एक लोकतंत्र के निर्माण हतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वे संविधान संशाधेन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया।[1] संविधान की धारा 40 जिसमे ग्राम शासन की बात निम्न प्रकार से स्पष्ट की गई हैं– ''राज्य ग्राम पंचायता का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने याग्ेय बनाने के लिए आवश्यक हो" यह धारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धान्तो का एक अंग है लेकिन इसे लागू करने के लिए काई कानून नही बनाया गया था। प्रारूप समिति ने भी ग्राम पंचायतों की आलाचेना की थी लेकिन यह भी सिफारिश की थी कि सरकार को ग्राम पंचायत का विकास संसदात्मक एंव संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत करना चाहिए। के. संधानम ने इसी संबधं में एक संशाधेन प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि भारत में राज्यों को ग्रामीण उद्धार एव ंविकास करने के लिए पंचायतो का गठन करना चाहिए। इसके ही परिणामस्वरूप संविधान में अनुच्छेद पेज–ए जोड़ा गया जिसे बाद में अनुच्छेद 40 में रखा गया। लाकेतात्रिक विकेन्द्रीकरण जनता की शासन मे प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाता है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पंचायती राज संस्थाएँ है 73 वें संविधान संशाधेन के पश्चात् समाज के प्रत्यके वर्ग को (जो वर्षों से समाज में हाशिए पर खड़ा था) शासन में भागीदारी का यह अधिनियम अवसर प्राप्त हुआ है। यह अधिनियम समाज के वंचित वर्गों की शासन में भागीदारी शासन मे बढाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत

आरक्षण (वर्तमान में अधिकाशं राज्यो में 50 प्रतिशत) अनुसूचित जाति व जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है लेकिन यह प्रावधान अनिवार्य नही हैं। यह राज्य पर निर्भर करता है कि अन्य पिछडा वर्ग हेतु पंचायती राज संस्थाओ में स्थान आरक्षित किए जाए या नही।

73वाँ संविधान संशाधेन दम तोडती पंचायती राज संस्थाओं को पुनजीर्वन प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक क्रातिकारी कदम है इस संशाधेन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सुदृढ़, सशक्त एवं स्वायत्तशासी हुई है।

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के पश्चात अनुसूचित जनजाति की स्थिति मे आए बदलाव :–

(1) पंचायती राज संस्थाओ में अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ी है।

राजस्थान में पंचायत 2021 चुनावो में समिति स्तर पर 1147 सीटें अर्थात् 16 प्रतिशत सीटे (एस.टी.) आरक्षित थी।

(प्रतिवेदन–पंचायती आम चनुाव पंचायत समिति) 2020–21 भाग–1, राज्यनिर्वाचन आयागे, राजस्थान, जयपुर।

(2) अनुसूचित जनजाति की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है उनके नेतृत्व को सामान्य वर्ग/उच्च वर्ग द्वारा स्वीकार किया गया है।

(3) सरकारी योजनाओं व कानूनो के सन्दर्भ में जागरुकता बढ़ी है।

(4) अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं की स्थिति में सुधार आया तथा शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा सकती है।

राजस्थान में 2020–20 के पंचायती समिति चुनावों में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 513 थी तथा निर्वाचित एसटी महिलाओं की संख्या 788 थी। जो यह दर्शाता ही अनुसूचित जनजाति की महिलाओ के लिए आरक्षित सीटों के अलावा भी महिला प्रतिनिधियो द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है एवं बड़ी संख्या में उन पर विजयी भी रही। 2020–21 की चनुावों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या आरक्षित सीटों 43 प्रतिशत अधिक थी। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति सम्बन्धित मुददे:

(1) पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति नेतृत्व जागरुक व सक्रिय नही है।

(2) अध्ययन में यह तथ्य भी सामने आया है कि शिक्षित सदस्यों का पंचायती राज संस्थाओं में काम करने मन व हौसला कहीं भी नहीं दिखता है। अनुसूचित जनजाति के शिक्षित लागे पढ़ लिखकर शहर में नौकरी करना पसंद करते है। पंचायती राज संस्थाओं में काम करना समय की बर्बादी समझते है।

(3) अनुसूचित जनजाति में लोगो के मध्य भारी आर्थिक विषमता है। इस कारण इस वर्ग के आर्थिक सम्पन्न लागे ही राजनीति में भाग लेते हैं। अन्य लागो का जीवन आज भी गरीबी और आर्थिक समस्याओं से घिरा रहता है।

(4) अध्ययन में यह तथ्य भी सामने आए है कि अनुसूचित जनजाति के पंचायत सदस्यों के नेतृत्व को नौकशाही लालफीताशाही के तरीके से कमजोर करने की कोशिश करती है जिससे ये वर्ग प्रभावशाली रूप से कार्य नही कर पाता।

(5) अनुसूचित जनजाति महिला नेतृत्व सक्रिय व जागरूक नही है। प्रायः यह देखा गया है कि अनुसूचित जनजाति महिलाओं की जगह उनका नेतृत्व, ससुर, पति, ज्येष्ठ, व बेटो के द्वारा किया जाता है। पंचायतों की मिटिंग में और अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों में महिलाआ की जगह परुषों द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है।

(6) ग्राम सभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग से सदस्यों की भागीदारी अत्यन्त कम है एवं ग्राम सभा की बठैको में अनियमितता देखी जाती है। साथ ही महत्वपर्ण मुद्दो पर निणर्य सरपंच प्रभावशाली लोगो द्वारा लिया जाता है ग्रामसभा के सन्दर्भ में आज भी ग्रामीण क्षत्रे में जागरूकता का अभाव है। शिक्षित वर्ग आज भी ग्राम सभा की बैठको को उपेक्षित दृष्टि से तथा अनावश्यक कार्य के रूप में देखता है।

(7) पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियो को प्रोत्साहन राशि अत्यन्त कम दी जाती है। इस कारण भी अधिकाश युवा इस क्षेत्र में आने के लिए प्रात्साहित नहीं होते।

(8) अशिक्षित जनप्रतिनिधित्व के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव जिससे वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयागे नही कर पाते।

उपर्युक्त तथ्यो के आधार पर कहा जा सकता है कि 73 वें संविधान संशाधेन के पश्चात निश्चय ही अनुसूचित जनजाति वर्ग की सहभागिता में वृद्धि तथा नेतृत्व की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लेकिन आज भी इसमे सुधार की आवश्यकता है।

सुझाव :

(1) अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधित्वों व जनसामान्य हतु जागरूकता कार्यक्रम चलाएं जाए। ताकि इस वन से भी सशक्त राजनीतिक नेतृत्व ऊभर सके।

(2) अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित वर्ग को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की आरे प्रोत्साहित किया जाए, इस हेतु प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जा सकती है।

(3) ग्राम सभा की शक्तियो व महत्व को समझाया जाए ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो सके तथा ग्रामीण क्षत्रे में राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाया जा सके।

(4) स्थानीय जनप्रतिनिधियों हतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय–समय पर आयोजन किया जाए तथा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय भाषा में आयोजित किए जाए ताकि अशिक्षित जनप्रतिनिधि भी पंचायत प्रावधानों व कार्यप्रणाली को समझ सके। ग्रामीण विकास संस्थान अनुसूचित जनजाति सदस्यों की समस्याओं को ध्यान में रखकर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉडयूल बनाये अनुसूचित जनजाति सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक आरै शैक्षिक कामस्याओं को ध्यान मे रखकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(5) पंचायती राज संस्थाओं में केन्द्र तब राज्य स्थान की याजेनाएँ व कायर्क्रम के कार्यान्वयन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और इनका अहम हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

(6) पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका नकारात्मक नहीं होनी चाहिए महिला नेतृत्व की जगह पुरुषों के अनावश्यक हस्तक्षपे पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। जिससे महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण विकास में कोई भी रुकावट नहीं आये।

(7) इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए ताकि जनप्रतिनिधियों व जनसामान्य की समस्याओं की पहचान की जा सके तथा उनका उचित समाधान कर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को और प्रभावशाली बनाया जा सके।

निष्कर्ष:

उपरोक्त अध्ययन को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को सहभागी लाकेतंत्र की अवधारणा को बल मिला है। इस संशोधन की व्यवस्था के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की तीन स्तर पर अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किए गए है। 73वें संशोधन का प्रत्यक्ष प्रभाव यह रहा कि निर्णय प्रक्रिया में अब इस वर्ग की भूमिका बढी है। अनेक समस्याएँ व कमिया वर्तमान में स्थानीय स्वशासन संस्थाओ में है लेकिन फिर भी ये संस्थाए ग्रामवासियो की जीवन पद्धति का केन्द्र बनता जा रहा है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति इन संस्थाओं में भागीदारी बढ़ी है। लेकिन सक्रिय भागीदारी के लिए अभी हमें शैक्षिक, सामाजिक आरै आर्थिक विकास करना होगा। ताकि इस वर्ग से एक सशक्त नेतृत्व ऊभर सके।

***शोधार्थी**
****शोध निर्देशक**
राजनीति विज्ञान विभाग
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

सन्दर्भ ग्रंथ

1 ए.एस. अल्तेकरः प्राचीन भारत में शासन पद्धति
2 शुक्रनीति 4/1921
3 प्रतिवेदन–पंचायत आम चुनाव (पचांयत समिति) 2020–21, भाग–1, राज्य निर्वाचन आयागे, राजस्थान, जयपुर
4 एम. लक्ष्मीकांत "भारत की राज व्यवस्था" पंचम संस्करण
5 पॉल, सुधीर एवं रणेन्द्र "पंचायती राज हाशिये से हुकूमत तक"
6 कुरुक्षेत्र, "महिला सशक्तिकरण" मई 2020
7 पूरणमल ''पंचायती राज एवं दखित नेतृत्व", 2004
8 कटारिया, सुरेन्द्र कुमार "पंचायती राज सशक्तिकरणः बाधाएँ एवं संभावनाएँ'' (2009) कुरुक्षत्रे अगस्त, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9 कुरुक्षेत्र मासिक हिन्दी ''पंचायती राज : उपलब्धिया गैर चुनौतियाँ, जुलाई 2018
10 बुटोलिया, डॉ पुष्पा ''पंचायती राज एंव ग्रामीण विकास 2017, राज प्रकाशन, जयपुर।
11 कुरूक्षेत्र, हिन्दी मासिक "पचांयती राज : सशक्त लाकेतंत्र, नवम्बर, 2015।
12 याजेना, हिन्दी मासिक, "ग्राम सभा : जन–जन तक जनतंत्र", 2011
13 याजेना "अग्रेंजी मासिक, नवम्बर, 2021
14 वार्षिक रिपार्ट 2022–23, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (rdprd.rajasthan.gov.in)
15 कुरूक्षेत्र, अंग्रेजी मासिक "पचांयती राज व्यवस्था से बदलता ग्रामीण भारत, जनवरी, 2021